राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 15320/2023

धर्मेंद्र कुमार पुत्र श्री बलराम गिरी, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 06, गजसिंहपुर, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय राजस्थान जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर (राजस्थान)।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री संदीप बिश्नोई

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री प्रियांशु गोपा

श्री विनित सनाढ्य के लिए।

श्री तपेन्द्र सांखला

श्री बी.एल. भाटी, एएजी.के लिए।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

रिपोर्ट करने योग्य

01/04/2024

1. सफल होने के बावजूद शिक्षक ग्रेड-III (ओबीसी श्रेणी) के पद पर चयन न होने से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी-बोर्ड के खिलाफ निर्देश मांगा है कि वह उसकी योग्यता के अनुसार उसे सभी परिणामी लाभों के साथ उक्त पद पर नियुक्ति के लिए विचार करे।

2. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1. एक विज्ञापन के जवाब में, याचिकाकर्ता ने ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर श्रेणी के तहत सामान्य शिक्षा के लिए नॉन-टीएसपी क्षेत्र में शिक्षक स्तर- II (अंग्रेजी विषय) के पद के लिए आवेदन किया। इसके बाद, अनंतिम परिणाम घोषित किया गया और याचिकाकर्ता दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित हुआ। बोर्ड ने याचिकाकर्ता को एक स्कोरकार्ड भी जारी किया, जिसमें दर्शाया गया कि उसने ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर श्रेणी में 203.464 अंक प्राप्त किए हैं। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, याचिकाकर्ता ने सभी प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा किया, जिसमें उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 279 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 338 के तहत एक आपराधिक मामला लंबित होना शामिल है, जो एक सड़क दुर्घटना से उत्पन्न हुआ है।

2.2. अंतिम परिणाम 15.09.2023 को घोषित किया गया। नॉन-टीएसपी ओबीसी श्रेणी के लिए कटऑफ अंक 196.9353 दर्शाए गए थे। फिर भी याचिकाकर्ता को अधिक मेधावी होने के बावजूद चयनित नहीं किया गया।

2.3. उसी दिन, यानी 15.09.2023 को, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा एक कार्यालय आदेश जारी किया गया, जिसमें कुछ दस्तावेजों या कारणों में कमियों के कारण अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के नाम सूचीबद्ध किए गए थे। याचिकाकर्ता का नाम क्रमांक 108 में सूचीबद्ध था, और यह नोट किया गया था कि उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था। उसे उक्त कमी को सुधारने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था।

2.4. याचिकाकर्ता 18.09.2023 को बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुआ और एक आवेदन/प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता को मामले में झूठा फंसाया गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए तत्काल रिट याचिका।

3. जवाब में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि दिनांक 04.09.2023 के कार्यालय आदेश ने याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 279 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 338 के तहत अपराधों के लिए एफआईआर संख्या 04/2020 के तहत लंबित आपराधिक मामले के कारण नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया है। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा 04.12.2019 को जारी परिपत्र के अनुसार किया गया था, जो आपराधिक घटनाओं वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक लगाता है। याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी इस परिपत्र में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करती थी और पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 256 के अनुसार, अच्छा चरित्र रोजगार के लिए एक शर्त है। इसलिए, याचिका खारिज होने लायक है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

5. उपर्युक्त कथन से यह बात उभर कर सामने आती है कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर मुख्यतः दो आधारों पर विचार नहीं किया गया था, अर्थात् (i) याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 338 के तहत आपराधिक कार्यवाही लंबित होना, जो सड़क दुर्घटना से उत्पन्न हुई थी। (ii) याचिकाकर्ता के पास बी.ए. स्तर के समकक्ष अंग्रेजी में अपेक्षित प्रमाण पत्र नहीं था।

6. सड़क दुर्घटना में शामिल होने के आधार पर अस्वीकृति को ध्यान में रखते हुए, अनावश्यक चर्चा के बिना, याचिकाकर्ता का मामला सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (2016) 8 एससीसी 471, अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। तदनुसार, उक्त निर्णय का लाभ याचिकाकर्ता को दिया जाना चाहिए।

7. अस्वीकृति के दूसरे आधार के संबंध में, यह पता चलता है कि प्रशासनिक पक्ष के सक्षम प्राधिकारी ने अन्य सभी समान स्थिति वाले उम्मीदवारों को अनुमति देने का निर्णय लिया है, जिनके पास अंग्रेजी के साथ बीए की अतिरिक्त योग्यता थी, जो एक अतिरिक्त विषय के रूप में उत्तीर्ण थी।

8. मेरा ध्यान राजस्थान सरकार, प्रारंभिक शिक्षा विभाग (विधि प्रकोष्ठ), जयपुर द्वारा जारी दिनांक 05.03.2024 (अनुलग्नक-ए) कार्यालय परिपत्र की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसमें इस तर्क का समर्थन किया गया है कि समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों को सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका के परिणाम के अधीन अनंतिम भागीदारी का लाभ दिया गया है।

9. चूंकि याचिकाकर्ता भी समान स्थिति वाला अभ्यर्थी है, इसलिए मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि समानता के आधार पर उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार क्यों न किया जाए।

10. परिणामस्वरूप, तत्काल याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश की वेब प्रिंट के साथ उनसे संपर्क करने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर उचित कदम उठाकर याचिकाकर्ता के मामले को आगे बढ़ाएं।

11. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता के योग्य पाए जाने की स्थिति में ही उसे नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

12. लंबित आवेदन(नों), यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।